

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-48/2014 ..... 950 ..... /न०वि०एवंआ०वि०। श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कटैया (गोपालगंज) को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-  
(शिव प्रसाद राम)  
सरकार के अवर सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 950 /न०वि०आ०वि०, पटना /दिनांक- 13/2/17

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना; /वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज/सीवान/श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कटैया (गोपालगंज)/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13.2.17  
सरकार के अवर सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।